राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 297/2023

अनिल कुमार भुकर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं शासन उप सचिव–प्रथम, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति धोद, जिला सीकर।
5. सुनीता गठाला, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2023
आदेश की दिनांक : 02.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, धोंद, जिला सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति, खींवसर, जिला नागौर किया गया है तथा आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक दखलअंदाजी से किया गया है जो कि अनुचित एवं विधि के विरूद्ध है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने सुनीता गठाला, जिला अध्यक्ष के पत्र दिनांक 10.01.2023 (अनुलग्नक–3) प्रस्तुत किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने नरेश कुमार बनाम सरकार में तथा माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी. स्पेशल बैंच ने गिरिराज बनाम सरकार में ऐसे राजनैतिक तथा जनप्रतिनिधि द्वारा लिखे गए पत्रों

के आधार पर किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जाना अनुचित माना है। अपीलार्थी का मामला भी उक्त प्रकरण के समान है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को नोटिसेज जारी किए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, धोंद, जिला सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी वर्ष 2019 से एक ही स्थान पर पदस्थापित है और तीन वर्ष से एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, परंतु प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 5 के शिकायत के आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अनुलग्नक–3 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, सीकर द्वारा माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को पत्र लिखा गया है। हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि उसका स्थानान्तरण इसी शिकायत के आधार पर किया गया

है क्योंकि आलोच्य आदेश में कुल 27 कार्मिकों का स्थानान्तरण किया गया है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उसमें किसी भी प्रकार की नियम विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में हम कोई बल होना नहीं पाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य